

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 21/2019-20

क्रमांक: एफ 7(91) परीक्षा / ACF-Ranger / 2013-14 / 333

दिनांक : 21.01.2020

आयोग के विज्ञापन संख्या संख्या 06/परीक्षा/एसीएफ-वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1/2018-19 दिनांक 04.04.2018 द्वारा वन विभाग के लिए सहायक वन संरक्षक के 99 पद एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 के लिए 70 पद विज्ञापित किये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 4/2018-19 दिनांक 04.05.2018, 5/2018-19 दिनांक 15.05.2018 एवं शुद्धि पत्र संख्या 1/2019-20 दिनांक 23.04.2019 को जारी किये गये थे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 द्वारा अतिपिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण व अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं विभाग द्वारा वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप सहायक वन संरक्षक के 99 एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 के 105 पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पुनः आमंत्रित किये जाते हैं तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1. विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

No. of Post(s)	Gen.				E.W.S.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				भूतपूर्व सैनिक
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	
सहायक वन संरक्षक																									
99	26	6	2	0	7	1	0	0	16	3	1	0	12	3	0	0	14	3	1	0	4	0	0	0	4
अनुसूचित जाति वर्ग में 7(पुरुष-6, महिला-1) पद एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में 5(पुरुष-4, महिला-1) पद बैकलॉग (रिजित वर्ष 2011-12) के सम्मिलित हैं। इन वर्गों के पात्र व उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरा जाना है।																									
वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1																									
105	29	8	3	0	8	2	0	0	12	3	1	0	10	2	0	0	17	4	1	0	4	1	0	0	12
नोट :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।																									

2. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाईन पोर्टल <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर दिनांक 04.02.2020 से दिनांक 23.02.2020 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।
3. **ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आवेदक को एस.एम.एस के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें विसंगति हाने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर नाम के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् आवेदन को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय/पद, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2018-19 दिनांक 04.04.2018 के तहत पूर्व में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था परन्तु अब अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण हेतु पात्र है, वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के संबंध में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से कर लें, उनके लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की सुविधा दिनांक 07.03.2020 से 16.03.2020 तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
6. आयु एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक है।
7. इस शुद्धि पत्र के तहत ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2021 को आधार मानकर की जायेगी।
8. उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन व शुद्धि पत्रों के अनुसार यथावत् रहेगी।
9. अभ्यर्थी सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 के पदों हेतु अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन आवश्यक रूप से करें।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव